



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2014/ज्येष्ठ 28, 1936

No. 328]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2014/JYAISTHA 28, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 18 जून, 2014

सा.का.नि. 413(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 43 के खंड (क) के उपखंड (ii), धारा 54 की उपधारा (1) के उपखंड (घ), धारा 55 की उपधारा (2), धारा 56 की उपधारा (1), धारा 56 की उपधारा (3), धारा 62 की उपधारा (1), धारा 42 की उपधारा (2), धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (च), धारा 64 की उपधारा (1), धारा 67 की उपधारा 3 के खंड (ख), धारा 68 की उपधारा (2), धारा 68 की उपधारा (6), धारा 68 की उपधारा (9), धारा 68 की उपधारा (10), धारा 71 की उपधारा (3), धारा 71 की उपधारा (6), धारा 71 की उपधारा (13) और धारा 72 की उपधाराएं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 में, -
(i) नियम 4 में उपनियम (6) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कंपनी द्वारा जारी विशेष अधिकारों वाले साधारण शेयर ऐसे उपबंधों और नियमों के अधीन विनियमित होते रहेंगे”

(ii) नियम 13 में,-

(क) उपनियम (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति होने तक मूल्यांकन रिपोर्ट एक स्वतंत्र वाणिज्यिक बैंक, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो अथवा दस वर्षों के न्यूनतम अनुभव वाले किसी व्यवसायगत स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी।”

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की कीमत रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अवधारित कीमत से कम नहीं होगी।”

(iii) नियम 18 में,-

(क) उपनियम (1) में खंड (क) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग दस वर्षों से अधिक किंतु तीस वर्षों से अनधिक अवधि के लिए प्रतिभूत डिबेंचर जारी कर सकते हैं:-

- (i) अवसंरचना परियोजनाएं स्थापित करने में लिप्त कंपनियां;
- (ii) गैर बैंककारी वित्तीय (जमा स्वीकार नहीं करने वाली अथवा नियंत्री) कंपनियां प्रबुद्ध सन्नियम (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 के निदेश 2 के उपनिदेश (1) के खंड (viii) में यथापरिभाषित ‘अवसंरचना वित्तीय कंपनियां’;
- (iii) अवसंरचना ऋण निधि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 के निदेश 3 के खंड (ख) में यथापरिभाषित ‘अवसंरचना ऋण निधि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां’।”

(ख) उपनियम (7) में खंड (ख) के उपखंड (ii) में “भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के लिए” अक्षरों, कोष्ठक, शब्दों और अंको के पश्चात् “और राष्ट्रीय आवास बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवास वित्त कंपनियों के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं.01/04/2013(भाग-I) सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 265(अ) तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2014

G.S.R. 413.(E).— In exercise of the powers conferred under sub-clause (ii) of clause (a) of section 43, sub-clause (d) of sub-section (1) of section 54, sub-section (2) of section 55, sub-section (1) of section 56, sub-section (3) of section 56, sub-section (1) of section 62, sub-section (2) of section 42, clause (f) of sub-section (2)

of section 63, sub-section (1) of section 64 , clause (b) of sub-section 3 of section 67, sub-section (2) of section 68, sub-section (6) of section 68, sub-section (9) of section 68, sub-section (10) of section 68, sub-section (3) of section 71, sub-section (6) of section 71, sub-section (13) of section 71 and sub-sections (1) and (2) of section 72, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debenture) Rules 2014,-

(i) in rule 4, after sub-rule (6), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of this rule it is hereby clarified that equity shares with differential rights issued by any company under the provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and the rules made thereunder, shall continue to be regulated under such provisions and rules.”.

(ii) in rule 13,

(a) in sub-rule (2), after clause (j), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of these rules, it is hereby clarified that, till a registered valuer is appointed in accordance with the provisions of the Act, the valuation report shall be made by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board of India or an independent Chartered Accountant in practice having a minimum experience of ten years”.;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) The price of shares or other securities to be issued on preferential basis shall not be less than the price determined on the basis of valuation report of a registered valuer.”.

(iii) in rule 18,

(a) in sub-rule (1), in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the following classes of companies may issue secured debentures for a period exceeding ten years but not exceeding thirty years,

- (i) Companies engaged in setting up of infrastructure projects;
- (ii) ‘Infrastructure Finance Companies’ as defined in clause (viiia) of sub-direction (1) of direction 2 of Non-Banking Financial (Non-deposit accepting or holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007;
- (iii) ‘Infrastructure Debt Fund Non-Banking Financial companies’ as defined in clause of
- (b) direction 3 of Infrastructure Debt Fund Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011”.

(b) in sub-rule (7), in clause (b), in sub-clause (ii), after the letters, brackets, words and figures “RBI (Amendment) Act, 1997”, the words “and for Housing Finance Companies registered with the National Housing Bank” shall be inserted.

[F.No. 01/04/2013(Part-I) CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* no. G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014.